प्रेस विज्ञप्ति
24.04.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भोपाल आंचलिक कार्यालय ने मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (जेजीएफपीपीएल) और अन्य के संबंध में चल रही धन शोधन की जांच के सिलसिले में सुनील त्रिपाठी को 20.04.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 19(1) के तहत गिरफ्तार किया है। अभियुक्त को भोपाल स्थित माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष प्रस्तुत किया गया और न्यायालय ने आगे की जांच के लिए अभियुक्त को 28.04.2026 (शाम 4:00 बजे) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है।

यह उल्लेखनीय है कि सुनील त्रिपाठी ने ईडी की जांच में सहयोग नहीं किया और ईडी द्वारा जारी किए गए कई ईमेल संदेशों और समन को जानबूझकर नजरअंदाज किया।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 को गुजरात के वडोदरा स्थित उनके परिसर में पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई, जिसमें कई आपत्तिजनक दस्तावेज और उपकरण जब्त किए गए और 9.36 लाख रुपये की खाता राशि फ्रीज कर दी गई।

यह भी उल्लेखनीय है कि इससे पहले इसी मामले में, ईडी ने 13 मार्च 2026 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत मेसर्स जेजीएफपीपीएल के प्रबंध निदेशक किशन मोदी को गिरफ्तार किया था, जो वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं।

भोपाल के हबीबगंज पुलिस स्टेशन और भोपाल के ईओडब्ल्यू द्वारा मेसर्स जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला है कि कंपनी के पूर्व सीईओ सुनील त्रिपाठी ने जाली दस्तावेज तैयार करने, निर्यात कार्यों की निगरानी करने और अपराध से प्राप्त धन को अर्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

पीएमएलए के तहत की गई जांच में पता चला है कि मेसर्स जेजीएफपीपीएल डेयरी उत्पादों में बड़े पैमाने पर मिलावट करने और निर्यात मंजूरी प्राप्त करने के लिए इंदौर स्थित निर्यात निरीक्षण एजेंसी (ईआईए) को प्रस्तुत की गई जाली प्रयोगशाला रिपोर्टों के आधार पर ऐसे उत्पादों का निर्यात करने में शामिल थी। जाली दस्तावेजों के आधार पर कंपनी ने मिलावटी उत्पादों का निर्यात किया और लगभग 20.59 करोड़ रुपये की आपराधिक आय अर्जित की, जिसे कंपनी ने अपने बैंक खातों के माध्यम से स्थानांतरित किया। ईडी ने किशन मोदी और अन्य लोगों की 20.59 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का अनंतिम कुर्की आदेश भी जारी किया है।

अपराध से प्राप्त अतिरिक्त धनराशि की पहचान करने, धन के प्रवाह का पता लगाने और धन शोधन में अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं की संलिप्तता सुनिश्चित करने के लिए विभाग की जांच जारी है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।